दिनांक 25/07/2023

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2023 हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

(Advisory for candidates)

1. राज्य की शासकीय एवं निजी/ चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त राज्य कोटे की सीटों (एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस), जिसमें निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध एन0आर0आई0 कोटे की सीटें भी सम्मिलित हैं में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रकिया मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2023–24 के माध्यम से की जायेगी।

2 नीट यू0जी0 2023 के समस्त पात्र अभ्यर्थी जो उपरोक्त काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते है उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपनी केडिंडेट प्रोफाईल का लॉगिंन आई0डी0 एवं पासवर्ड एवं अन्य संबंधित जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें, जिससे इसका दुरूपयोग न हो।

3. रजिस्ट्रेशन से पूर्व संचालनालय की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित रजिस्ट्रशन यूजर मेनुअल एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधन नियम 19 जून 2019, 05 अक्टूबर 2021 एवं संशोधन जुलाई 2022 तथा संशोधन दिनांक 10 मई 2023 को भली भॉती पढ़कर समझ लें। किसी प्रकार का संशय होने पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा काउंसिलिंग की ई–मेल mpugpgcounselling@gmail.com पर अपनी समस्या प्रेषित कर इसका निराकरण करायें। रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरान्त समय सारणी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शित निर्धारित समय सीमा तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन एवं प्रोफाईल की प्रवृष्टियों में संशोधन कर पायेगा।

4. <u>**रजिस्ट्रेशन के समय केंडिडेट प्रोफाईल में बैंक का विवरण भरते समय सुनिश्चित करे कि बैंक खाता (Bank Account) निम्नानुसार हो :–**</u>

    1. बैंक खाता सेविंग अथवा करंट खाता हो।
    2- बैंक खाता किसी अव्यस्क (Minor) का नहीं होना चाहिये।
    3- बैंक खाता के0वाई0सी0 के अनुरूप (KYC compliant)सकिय होना चाहिये।
    4- यदि यह बचत बैंक खाता है, तो बचत बैंक खाता एक सामान्य बचत बैंक होना चाहिये जहां खाते में अधिकतम शेष/क्रेडिट की कोई सीमा नहीं है।

5. प्रधान मंत्री जनधन योजना **(PMJDY)** खाता और शून्य शेष खाता (Zero Balance) मान्य नहीं है।

5. अभ्यर्थी को पंजीकृत (Registered) तभी माना जायेगा जब अभ्यर्थी ने पंजीयन हेतु ऑनलाईन फीस जमा कर दी हो एवं अभ्यर्थी के पास एमपी आनलाईन पोर्टल से जनरेट की गई रजिस्ट्रेशन स्लिप अनिवार्य रूप से हो। पंजीयन शुल्क (Registration fee) अप्रतिदेय (Non refundable) है।

6. पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

7. काउंसिलिंग के समस्त चरणों की प्रक्रिया ऑनलाईन की जानी है अतः अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय, द्वितीय चरण एवं मॉप अप चरण की काउंसिलिंग में नई च्वाईस फिलिंग करने से पूर्व जमा कराई जाने वाली अग्रिम राशि तथा प्रवेश के समय संस्था की निर्धारित फीस का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। अभ्यर्थी किसी भी खाते से निर्धारित फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं ऑनलाईन आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी के माध्यम से कर सकता है। फीस के भुगतान हेतु अभ्यर्थी एक से अधिक नेट बैकिंग एकाउंट, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फीस भुगतान संबंधी परेशानी से बचने के लिए खातों में संस्था की निर्धारित फीस के अनुसार पर्याप्त राशि रखें। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते से किये जाने वाले लेन–देन (Transaction) राशि की सीमा बढ़ा लें। मॉप अप चरण के उपरान्त किसी भी कारण से रिक्त रही वेकेन्सी पर संस्था स्तर पर प्रवेश के समय संस्था का निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा किसी भी माध्यम से किया जा सकता है।

8. पंजीयन फार्म में फोटो आईडी के रूप अभ्यर्थी अपना वोटर आईडी कार्ड/पैन कार्ड/डाईविंग लांइसेंस कार्ड/पासपोर्ट अथवा उपरोक्त उपलब्ध न होने की स्थिति में 12वीं कक्षा का फोटो युक्त प्रवेश पत्र अथवा मार्कशीट/बैंक पासबुक/विघालय

द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त आईडी/शासन द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो युक्त आईडी अपलोड कर सकता है।

9. रजिस्ट्रेशन के उपरान्त पूर्व प्रदर्शित काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपना विकल्प (च्वाईस फिलिंग) दर्ज कराना होगा।

10. **सेना के तीन अंगो थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना में कार्यरत/सेवामुक्त/मृत/युद्व में विकलांग व्यक्तियों की संताने ही आरक्षण के पात्र हैं।**

11. **ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचलित शासकीय विद्यालय से कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन तथा परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी स्कूलों में पढ़ने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन एवं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग के अन्तर्गत 5 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता होगी।**

12. **अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रवर्ग के अन्तर्गत विकलांग, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शासकीय विद्यालय विद्यार्थी विकल्पों में से पात्रता अनुसार केवल एक विकल्प का चयन कर सकता है।**

13 प्रथम चरण की काउंसिलिंग में केवल मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवंटन हेतु च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग कर सकेगें।

14. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों (च्वाईस) के महाविद्यालयो का क्रम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े।

15. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अच्छी तरह से सोच समझकर एवं विभिन्न महाविद्यालयों की प्रदर्शित शुल्क को ध्यान में रखकर ही आवंटन हेतु महाविद्यालयों का चयन करें एवं महाविघालयों के चयन को क्रम दें। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 10 उप नियम (6) के अनुसार आवंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रताधारी होते हुये भी प्रवेश न लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी किसी भी चरण की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग के समय ऐसी च्वाईस न भरे जिस पर आवंटन हो जाने की स्थिति में प्रवेश लेने के लिए असमर्थ हों।

16. अभ्यर्थी किसी भी चरण की च्वाईस फिलिंग करने के उपरान्त अपनी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें, च्वाईस लॉक न किये जाने की स्थिति में भरी गई च्वाईस मान्य नहीं होगी एवं अभ्यर्थी उस चरण में आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा।

17. आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिंन आई0डी0 से आवंटन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा।

18. आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के समय प्रारूप–1 में उल्लेखित मूल दस्तावेजों के साथ अभिलेखों के सत्यापन हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित हो। आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा (काउंसिलिंग समय सारणी) में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेस्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज करायें। तत्पश्चात आवंटित संस्था की नियुक्त की गई प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवायें। मूल दस्तावेजों की सूची मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के साथ संलग्न अनुसूची–3 के अनुसार है एवं अभिलेखों की स्कूटनी का प्रारूप–1 संचालनालय की वेबसाईट एवं एम0पी0 ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा। संस्था प्रमुख से मूल दस्तावेज जमा होने की सूचीबद्व अभिस्वीकृति (Signed certificate)अवश्य प्राप्त कर लें। शुल्क भुगतान के उपरान्त अभ्यर्थी को ऑनलाईन प्रवेश स्लिप प्राप्त होगी।

19. प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण व मॉपअप चरण की काउंसिलिंग हेतु बेहतर विकल्प (अपग्रेडेशन) का ऑप्शन देना चाहता है वह अपने केंडिडेट लॉगिन में उपलब्ध **अपग्रेडेशन आप्शन लिंक** से विकल्प लॉग कर सकेगा।

20. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चरण एवं /अथवा मॉपअप चरण हेतु अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है को ग्रामीण सेवा बंध पत्र एवं सीट लिविंग बॉण्ड उस चरण में नहीं देना है। परन्तु उन्हें इस आशय का रू. 500/– का नोटराईज्ड शपथपत्र, प्रवेशित संस्था प्रमुख के नाम से संपादित करना होगा कि द्वितीय चरण/मॉपअप चरण में अपग्रेड न होने की स्थिति में ग्रामीण सेवा का बंध पत्र एवं सीट लिविंग बॉण्ड पृथक–पृथक सम्यक रूप से स्टाम्पित नोटराईज्ड शपथ पत्र पूर्व चरण से प्रवेशित संस्था में जमा करना होगा।

21. दिव्यांग प्रर्वग हेतु MCI/NMC द्वारा जारी मापदण्ड अनुसार बैंच मार्क डिसएबिलिटी के लिये नामित नीट डिसएबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर से जारी किया गया डिसएबिलिटी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।

22. शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी संचालनालय की वेबसाईट एवं एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।

25/7/23

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश